रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1256] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 4, 2008/भाद्र 13, 1930
No. 1256] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 2008/BHADRA 13, 1930

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2008

का.आ. 2160(अ).—केन्द्रीय सरकार, हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 (1985 की 22) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के आदेश सं. का.आ. 557(अ) तारीख 26 जुलाई, 1996 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सलाहकार समिति द्वारा उसे की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाने पर कि हथकरघा उद्योग के संरक्षण और विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा निदेश देती है कि नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तु या वस्तुओं के वर्ग को, स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र तक हथकरघों द्वारा अनन्य उत्पादन के लिए तुरन्त प्रभाव से आरक्षित किया जाएगा, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	वस्तु या वस्तुओं का वर्ग	हथकरघों द्वारा अनन्य उत्पादन हेतु आरक्षित क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	साड़ी	साड़ी एक ऐसा कपड़ा है जो शतप्रतिशत सूती धागे या शतप्रतिशत रेशमी धागे से या उनके संयोजन से बनाया जाता है और इसमें भार के आधार पर मानव निर्मित फाइबर या सूती धागे या रेशम के धागे के साथ संयोजन में धागे से पैंतालीस प्रतिशत तक उसके मिश्रण में या उनसे मिलाकर बनाई गई साड़ी सम्मिलित हैं और इसकी निम्नलिखित एक या अधिक विशेषताएं भी हैं

		(i) किनारी और/या शीर्ष और/या मुख्य भाग अतिरिक्त ताने और/या बाने का डिजाइन हैं जिसमें बूटा भी है, जिसमें कोई धात्विक या धातु की तरह के धागे या जरी या उसके किसी संयोजन से बने हुए सम्मिलित हैं ; (ii) जिसमें ठोस एंगीन बुनी हुई किनारी है ; (iii) बंधेज और रंजित धागे की तानेदार और/या बानेदार, किंतु जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं :- (i) क्रेप, शिफॉन, चिनॉन, जार्जेट और सूती वाइल की साड़ियाँ ; (ii) ग्रे या विरंजित सिल्क की साड़ी जिसमें अतिरिक्त ताने के डिजाइन की किनारी है ।
2.	धोती	धोती एक ऐसा कपड़ा है जो शतप्रतिशत सूती धागे या शतप्रतिशत रेशमी धागे से या इनके किसी संयोजन से बनाई जाती है और जिसमें भार के आधार पर मानव निर्मित या सूती धागे या रेशमी धागे के संयोजन में धागे के पैंतालीस प्रतिशत तक मिश्रण से या उससे मिलाकर बनाई गई धोती सम्मिलित है जिसका चौदह मिलीमीटर से अधिक चौड़ाई का अतिरिक्त ताने का डिजाइन है जिसमें चौदह मिलीमीटर से अधिक चौड़ाई की किनारी और/या अतिरिक्त बाने के शीर्ष में किनारी सम्मिलित है ।
3.	(क) तौलिया और गमछा	तौलिया एक सादा, मैट, ट्विल, हनीकोंब, हक्काबैक या किनारी और शीर्ष के साथ उनकी बुनाई के संयोजन से बुना गया कपड़ा है और इसमें निम्नलिखित है :- (क) कोई तौलिया,-

		(i) जो किसी अन्य फाइबर के साथ सूती या सूत के मिश्रण से बना हुआ है ; (ii) जो विभिन्न माप में बनाया गया है ; (iii) जो सफेद या रंगीन हो सकता है ; (iv) जिसमें सजावटी डिजाइन हो सकता है जब उसे जैकार्ड पर बनाया जाता है ; और (v) जो मेट बुनाई के साथ तैयार किया गया है, केरल में इराजा थोरथू और तमिलनाडु में साधारणतया इराजा थुंडु के नाम से जाना जाता है ; (ख) गमछा
	(ख) अंगवस्त्रम	अंगवस्त्रम, एक, किनारी पर अतिरिक्त ताने के साथ किनारी सहित, सादी बुनाई का ग्रे या रंगीन कपड़ा है और जिसमें निम्नलिखित अंगवस्त्रम सम्मिलित हैं,- (i) किसी प्राकृतिक फाइबर से विनिर्मित जिसमें रेशम (रेशम के सिवाय) या मानव निर्मित फाइबर या उसके किसी संयोजन से विनिर्मित ; (ii) जिसमें उसकी किनारी या शीर्षों पर सफेद या रंगीन धागे या धात्विक या धातु जैसे धागे या जरी या उसका कोई संयोजन हैं ; (iii) जिसकी चौड़ाई 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर की रेंज में है जिसमें किनारियां सम्मिलित है ; और (iv) जिसकी लंबाई 1.50 मीटर से 3.00 मीटर तक की है ।
4.	लुंगी	लुंगी, 110 सेंटीमीटर या उससे अधिक की चौड़ाई वाली और 64 ताने के धागे या उससे अधिक प्रति इंच की चौड़ाई वाले तथा चैक और/या

		धारीदार पैटर्न से रंगीन धागे का प्रयोग करके चैक और/या धारीदार डिजाइन में बुना हुआ सूती धागे या कृत्रिम रेशम के धागे या उसके संयोजन से बना हुआ कपड़ा है ।
5.	खेस, बेडशीट, बेडकवर, पलंगपोश, फर्निशिंग (जिसमें टेपेस्ट्री, अपहोलस्ट्री सम्मिलित है)	खेस, बेडशीट, बेडकवर, पलंगपोश और फर्निशिंग (जिसमें टेपेस्ट्री, अपहोलस्ट्री सम्मिलित है) चाहे वे देश के विभिन्न भागों में किसी भी नाम से जाने जाते हों जिसके अंतर्गत सूती धागे और/या कृत्रिम रेशम धागे और/या टाई एंड डाईड धागे या उसके संयोजन में किसी धागे से बना हुआ डबल क्लोथ, जिसमें डिजाइन पैटर्न और/या उसके काउंट और लंबाई-चौड़ाई पर ध्यान दिए बिना दो सौ धागे तक के डिजाइन की पुनरावृत्ति भी हैं, बनाया गया है, किंतु जिसमें सादे, ट्विल, सैटिन या सेटिन बुनाई की सादी चादर की बुनाई सम्मिलित नहीं है ।
6.	जामाकालम दरी या डरैट	जामाकालम दरी या डरैट सूती धागे, 20^s तक के एकल धागे या 10^s तक के पारिणामिक काउंट के फोल्डेड/प्लाई या उनके समतुल्य काउंट की दशा में सूती धागे या कृत्रिम रेशम के धागे या उनयुक्त धागे या जूट के धागे या उसके किसी संयोजन में बनाई गई हैं और छब्बीस धागे प्रति इंच तक के सादा बुनाई में बने हुए हैं या किसी लंबाई-चौड़ाई में ट्विल बुनाई या उसके संयोजन में बुने हुए हैं । स्पष्टीकरण :- 10^s तक के सूती धागे के काउंट 15^s तक के वर्सटेड धागे के काउंट या 32.8^s तक के ऊनी धागे या 530 डेनियर से अन्यून के कृत्रिम रेशमी धागे या 1.7 पाउंड तक के जूट के धागे के काउंट के समतुल्य हैं ।
7.	ड्रैस मेटेरियल	ड्रैस मेटेरियल, जिसके अंतर्गत किनारी में और/या मुख्य भाग में अतिरिक्त ताने वाले डिजाइन के साथ, उसके काउंट और लंबाई-चौड़ाई पर ध्यान दिए बिना बुना हुआ सूती धागे और/या रेशमी धागे

		(जिसके अंतर्गत स्पन रेशम भी है) और/या कृत्रिम रेशम के धागे और/या टाई एंड डाईड धागे या उसके संयोजन में बनाए गए मशरू कपड़े भी हैं और इसमें तोलिया रुमाल, वास्तविक मद्रासी रुमाल सम्मिलित हैं ।
8.	बैरक कंबल और कंबल या कंबली	(के) बैरक कंबल से लगभग 34 माइक्रोन और उससे अधिक के फाइबर सतह वाले मिलिंग और रेजिंग द्वारा उत्पादित ऊन का बना हुआ मोटा वस्त्र अभिप्रेत है जिसमें प्राकृतिक भूरे या काली ऊन या उसके संयोजन से हाथ से बुने या मिल में बुने ऊन के धागे का प्रयोग करके बनाए गए और किसी आकार में उत्पादित या बुने गए बैरक कंबल सम्मिलित हैं । (ख) कंबल या कंबली से फाइबर सतह वाला लगभग 34 माइक्रोन और उससे अधिक की ऊन का मिलिंग और रेजिंग द्वारा उत्पादित ऊन का बना हुआ मोटा वस्त्र अभिप्रेत है और इसमें हाथ से बुना हुआ या मिल में बुना हुआ वर्सटेड धागे, ऊनी धागे या उसके संयोजन में साटे, धारीदार या चैक डिजाइन का प्रयोग करके बनाया गया कंबल या कंबली सम्मिलित हैं । स्पष्टीकरण :- इस आदेश के प्रयोजन के लिए, मद (क) और मद (ख) में शाडीयार्न अर्थात् घटिया किस्म के धागे से पुनः उपयोग या पुनः चक्रण से ऊन और संश्लिष्ट पुराने कपड़ो से बने ऊनी धागे की सस्ती श्रेणी का बना बैरक कंबल, कंबल या कंबली सम्मिलित है ।
9.	शॉल, लोई, मफलर, पंखी आदि	शाल, वर्सटेड धागे या ऊनी धागे या पशमीना धागे या शुद्ध रेशमी धागे या सूती धागे और/या उसके संयोजन से, जिसे कोई सिलाई प्रक्रिया किए बिना शरीर को ढकने के लिए या कंधों पर रखने के लिए उपयोग किया जाता है, बुना हुआ कपड़े का टुकड़ा है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है,-

		(क) कोई शॉल,- (i) जो ऊनी धागे या वर्सटेड धागे या पशमीना धागे या शुद्ध रेशमी धागे या सूती धागे और/ या उसके संयोजन में या अन्य फाइबर के मिश्रण से, जो प्राकृतिक और/ या मानव निर्मित या संश्लिष्ट, डोबी या जैकार्ड डिजाइन सहित 400 हुकों तक का उपयोग करके अतिरिक्त ताने के डिजाइन सहित बुना हुआ है ; (ii) जिसे किसी प्रकार के ऊनी धागे, वर्सटेड धागे या पशमीना धागे या शुद्ध रेशमी धागे या सूती धागे और/या उसके किसी संयोजन में उपयोग करके बुना गया है ; (iii) जो किसी काउंट के धागे से बुना गया है ; और (iv) जो किसी लंबाई, चौड़ाई और भार में बुना गया है ; (ख) लोई, पंखी, मफलर, परंपरागत शॉल जैसे कुल्लु, किन्नौरी, खानी, पशमीना, धोरी, लिरांचा, (तिबतन), गज्जरी या कोई शॉल जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जिस भी नाम से ज्ञात हों । स्पष्टीकरण :- इस आदेश के प्रयोजन के लिए मद (क) और मद(ख) में केशमीलोन धागे से बनी हुई वस्तु सम्मिलित नहीं है ।
10.	ऊनी कपड़ा (वूलन ट्वीड)	ऊनी ट्वीड एक ऐसा कपड़ा है जिसे कोट, जैकेट और ड्रैस मेटेरियल बनाने के लिए शतप्रतिशत शुद्ध ऊनी धागे से बनाया जाता है और - (i) लंबाई-चौड़ाई पर ध्यान दिए बिना चैक या धारीदार डिजाइन में उत्पादित किया जाता है ; और (ii) 3/1 ट्वीड बुनाई में उत्पादित किया जाता है ।
11.	चादर, मेखला या फानिक	चादर, मेखला या फानिक का शरीर के निचले और/या ऊपरी भाग को ढकने के लिए उपयोग किया जाता है और इसे सूती धागे या रेशमी धागे या कृत्रिम रेशमी धागे या उनके किसी संयोजन में उसके काउंट

		और लंबाई-चौड़ाई पर ध्यान दिए बिना चैक या धारीदार डिजाइन सहित सादा या ट्विल बुनाई में विनिर्मित किया जाता है और इसकी किनारी और/या क्रॉस किनारी में अतिरिक्त ताने और/या इसकी अतिरिक्त बाने के डिजाइन वाली विशेषता है तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :- (i) मिजोरम का पुआन ; (ii) मेघालय का धारा, जेनसेन, डाकमंडा, डकसारी ; (iii) नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की स्कर्ट और ओढ़ना कपड़े ; (iv) त्रिपुरा के रेहा और पचारा ; (v) अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडिचेरी के पावडे (सेट) या धावनी ; और (vi) असम के डकोना, डाका, खमलेट, फानिक ।

स्पष्टीकरण :- इस आदेश के प्रयोजन के लिए,-

(क) "शिफॉन" से सादी बुनाई में ठोस टिवस्टड रेशमी फिलामेंट यार्न से बना हुआ कम भार का, जालीदार कपड़ा अभिप्रेत है ;

(ख) "वूटा" से साड़ी या ड्रैस मेटेरियल में अतिरिक्त ताने और/या अतिरिक्त बाने से बुना डिजाइन अभिप्रेत है ;

(ग) "पावडे" से टखने की लंबाई की स्कर्ट जो प्राय: साड़ी या दुक्टट में प्रयोग किए जाने के लिए दो भागों में होती हैं, अभिप्रेत है ;

(घ) "ओढ़नी" से छः फुट से सात फुट लंबा और तीन फुट से चार फुट चौड़ा कपड़ा, जिसमें संपूर्ण कसीदाकारी या हिमरु शॉल जैसा परंपरागत डिजाइन, जैकार्ड बुनाई या सूती धागे या रेशमी धागे या जरी या किसी अन्य फाइबर से सजाकर बनाया गया कपड़ा अभिप्रेत है ;

(ङ) "चिनॉन" से गर्मी में पहनने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाने वाला सूती या सूती ब्लैंडिड प्रभाव वाला सादा ट्विल फैब्रिक अभिप्रेत है ;

(च) "अपहोल्सट्री" से अपहोल्स्ट्रिंग और फर्निशिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला डारिकी से डिजाइन किया गया जैकार्ड फैब्रिक अभिप्रेत है ;

(छ) "मशरु" से सूती धागे और रेशमी धागे और/या टाई एंड डाईड धागे से बना हुआ मिश्रित फैब्रिक अभिप्रेत है ;

(ज) "मेखला" से असम में महिलाओं द्वारा परिधान या पेटीकोट के रूप में उपयोग किया जाने वाला सिरों से सिला हुआ कपड़ा अभिप्रेत है ;

(झ) "रिहा" से शरीर के ऊपरी भाग पर महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला कोई कपड़ा अभिप्रेत है ;

(ञ) "धायनी" से लड़कियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला लगभग चार गज से पांच गज लंबाई में साड़ी जैसा कपड़ा अभिप्रेत है ;

(ट) "पुआन" से मिजोरम में सादा या ट्विल बुनाई में चैक या धारीदार डिजाइन में बुना हुआ और सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला सूती धागे या रेशमी धागे या कृत्रिम रेशमी धागे या उनके संयोजन से निर्मित शरीर के निचले भाग और/या ऊपरी भाग को ढकने के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई कपड़ा अभिप्रेत है ;

(ठ) "धारा" से मेघालय में सादा या ट्विल बुनाई में चैक या धारीदार डिजाइन में बुना हुआ और सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला सूती धागे या रेशमी धागे या उनके संयोजन से विनिर्मित शरीर के निचले भाग और/या ऊपरी भाग को ढकने के लिए उपयोग किया जाने वाला और "जैनसेन", "दक्सरी" या "डाकमांडा" के रूप में सामान्य रूप से ज्ञात कोई कपड़ा अभिप्रेत है ;

(ड) "लोई" से ऊनयुक्त या ऊनी या केशमीलोन या पंशमीना या किसी अन्य फाइबर या उसके मिश्रण से बुना हुआ जिसका शरीर को ढकने के लिए उपयोग किया जाता है ; और जो "पंखी" या "मफलर" या "शॉल" के रूप में विभिन्न रूप में जाना जाता है, कोई कपड़ा अभिप्रेत है ;

(ढ) "डकोना" से असम में सादा या ट्विल बुनाई में चैक और धारीदार डिजाइन में बुना हुआ और सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला सूती धागे या रेशमी धागे या उनके संयोजन से विनिर्मित शरीर के निचले भाग और/या ऊपरी भाग को ढकने के लिए उपयोग की जाने वाली किस्में अभिप्रेत है ;

[फा. सं. 2/1/2008/डीएचएस/सीओ]

बी. के. सिन्हा, हथकरघा विकास आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 3rd September, 2008

S.O. 2160(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act,1985 (22 of 1985), and in supersession of the order of the Government of India, in the Ministry of Textiles, number S.O. 557(E), dated the 26th July, 1996, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, being satisfied, after considering the recommendations made to it by the Advisory Committee that it is necessary so to do for the protection and development of the handloom industry, hereby directs that the article or class of articles specified in column (2) of the Table below, shall with immediate effect, be reserved for exclusive production by handlooms upto the range specified in column (3), namely:-

TABLE

Sl. No.	Article or class of articles	Range reserved for exclusive production by handlooms
(1)	(2)	(3)
1.	Saree	A Saree is a fabric made out of hundred percent. cotton yarn or hundred percent. silk yarn or in any combination thereof and includes a saree made in blends or union with upto forty-five percent. by weight of man-made fibres or yarn in combination with cotton yarn or silk yarn and is characterised by one or more of the following - (i) has extra warp and/or extra weft design in the border and /or heading and/or body, including buttas containing any yarn including metallic or metallised yarn or zari or any combination of thereof; (ii) has a solid woven border; (iii) has tie and dyed yarn warp-wise and/or weft-wise, but does not include- (i) crepe, chiffon, chinon, georgettes and cotton voile saree; (ii) grey or bleached silk saree having a border in extra warp design.
2.	Dhoti	Dhoti is a fabric made out of hundred percent. cotton yarn or hundred percent. silk yarn or in any combination thereof and includes a dhoti made in blends, or union with upto forty-five percent. by weight of man-made fibres or yarn in combination with cotton yarn or silk yarn which has an extra warp design of more than 14mm width including selvedge in the border, and/or extra weft heading of more than 14mm width.

3315 GI/08-2

3.	(a) Towel and Gamcha	A towel is a fabric woven in plain, mat, twill, honey-comb, huckaback or a combination of these weaves with border and heading and includes, – (A) a towel- (i) made of cotton or blends of cotton with any other fibre; (ii) made in different dimensions; (iii) which may be white or coloured; (iv) which may contain decorative design when produced on jacquard; and (v) with mat weave, commonly known as Erazha Thorthu in Kerala and Erazha Thundu in Tamil Nadu; (B) Gamcha.
	(b) Angavastram	Angavastram is a grey or bleached cloth of plain weave with border with extra warp in the borders and includes Angavastram- (i) manufactured from any natural fibre including silk (except spun silk) or man-made fibre or any combination thereof; (ii) which contains white or coloured yarn or metallic or metallised yarn or zari or any combination thereof, in its border or headings; (iii) which has a width ranging from 70 cms. to 100 cms. including selvedges; and (iv) which has length varying from 1.50 meters to 3.00 meters;
4	Lungi	Lungi is fabric made out of cotton yarn or art silk yarn or in any combination thereof, having a width of 110 cms. or above and 64 ends or above per inch and woven in check and/or stripe design using coloured yarn to form check and/or stripe pattern.
5.	Khes, Bedsheet, Bedcover, Counterpane, Furnishing (including tapestry, upholstery)	Khes, bedsheet, bedcover, counterpane and furnishings (including tapestry, upholstery), by whatever name they may be called in different parts of the country, and includes a double cloth made out of cotton yarn, and/or art silk yarn and/or tie and dyed yarn or any yarn in combination thereof, which is woven with design pattern and/or a repeat of design upto 200 ends, irrespective of count and dimensions, but does not include a plain sheeting woven only in plain, twill, satin or sateen weaves.
6.	Jamakkalam Durry or Durret	Jamakkalam Durry or Durret made out of cotton yarn or art silk yarn or wool yarn or jute yarn or in any combination thereof, using, in the case of cotton yarn, coarse count of single yarn of upto 20^s or folded/plies of resultant count upto 10^s, or their equivalent count and in the case of art silk yarn or wool yarn or jute yarn, upto 26 ends per inch, woven with plain weave or twill weave or in combination thereof, in any dimension. Explanation.- The count of cotton yarn upto 10^s is equivalent to the count of worsted yarn upto 15^s or woollen yarn upto 32.8^s or count of art silk yarn not less than 530^d denier or count of jute yarn upto 1.7 lbs.

7.	Dress Material	Dress Material including Mashru cloth made out of cotton yarn and/or silk yarn (including spun silk) and/or art silk yarn and/or tie and dyed yarn or in any combination thereof, woven with extra weft design in the border and/or body irrespective of count and dimensions and includes Telia Rumal and Real Madras Handkerchief.
8.	Barrack Blankets and Kambal or Kamblies	(a) Barrack blanket means a thick fabric made of wool of about 34 microns and above, with fibrous surface, produced by milling and raising and includes barrack blankets made by using hand spun or mill spun woollen yarn from natural grey or black wool or combination thereof, and produced in any size or weave. (b) Kambal or kamblies means a thick fabric made of wool of about 34 microns and above, with fibrous surface, produced by milling and raising and includes kambal or kamblies made by using hand-spun or mill-spun worsted yarn, woollen yarn or combination thereof, in plain, stripe or check design. Explanation.- For the purpose of this order, items (a) and (b) shall not include barrack blanket, kambal or kamblies made out of shoddy yarn, i.e, a cheaper class of woollen yarn made from reused or recycled wool and synthetic rags.
9.	Shawl, Loi, Muffler, Pankhi etc.	Shawl is a piece of cloth woven from worsted yarn or woolen yarn or Pashmina yarn or pure silk yarn or cotton yarn and/or any combination thereof, which is used for covering body or worn over the shoulders without being put to any tailoring process and includes,- (A) a shawl- (i) which is woven with extra weft design, using woollen yarn or worsted yarn or pashmina yarn or pure silk yarn or cotton yarn and/or any combination thereof or in blends with other fibers which may be natural and/or man-made or synthetic, with dobby or jacquard design up to 400 hooks; (ii) which is woven using any type of woollen yarn, worsted yarn or pashmina yarn or pure silk yarn or cotton yarn and/or any combination thereof; (iii) which is woven with any count of yarn; and (iv) which is woven in any length, width and weight; (B) Loi, pankhi, mufflers, traditional shawls like kullu, kinnauri, khani, pashmina, dhori, lirancha (Tibetan), gajari or any shawl, by whatever name called, in the north eastern region. Explanation,- for the purpose of this order, item (A) and (B) does not include article made from cashmelon yarn.
10	Woollen Tweed	Woollen tweed is a piece of fabric woven by hundred percent. pure woollen yarn for making coats, jackets and dress materials and is- (i) produced in check or stripe design irrespective of dimensions; and (ii) produced in 3/1 twill weave.

11	Chaddar, Mekhala or Phanek	Chaddar, Mekhala or Phanek is used for covering lower and/or upper part of the body and is manufactured from cotton yarn or silk yarn or art silk yarn or in any combination thereof, woven in plain or twill weave with check or stripe design irrespective of count and dimensions and is characterised by a border and/or cross border with extra warp and/or extra weft design and includes- (i) Puan of Mizoram; (ii) Dhara, Jainsem, Dakmanda, Daksari of Meghalaya; (iii) Skirts and Odhana fabrics of Nagaland and Arunachal Pradesh; (iv) Riha and Pachara of Tripura; (v) Pawade (set) or Dhawani of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Pondicherry; and (vi) Dakhona, Danka, Khamlet, Phanek of Assam;

Explanation,- for the purpose of this order,-

(a) "Chiffon" means a lightweight, open-mesh fabric, made from hard twisted silk filament yarn in plain weave;

(b) "Butta" means extra warp and/or extra weft spots design effect in the body of a saree or dress material;

(c) "Pawade" means an ankle-length gathered skirt often in two-piece often used with sari or dupatta;

(d) "Odhani" means an oblong cloth of about 6 to 7 ft. long and 3 to 4 ft. wide, with overall embroidery or woven jacquard weave with traditional design like himroo shawl or made up of a fabric decorated with cotton yarn or silk yarn or zari or any other fibre and used to cover the body;

(e) "Chinon" means a cotton or cotton blended compact plain or twill fabric mainly used as summer wear;

(f) "Upholstery" means intricately designed jacquard fabric used for upholstering and furnishings;

(g) "Mashru" means a mixed fabric made from cotton yarn and silk yarn and/or tie and dyed yarn;

(h) "Mekhala" means a piece of cloth with ends sewn together which is used by women as dress or petticoat, in Assam

(i) "Riha" means a cloth worn by women on the upper part of the body;

(j) "Dhawani" means a saree like fabric of about 4 to 5 yards in length used by girls;

(k) "Puan" means a cloth used for covering lower and/or upper part of the body, manufactured from cotton yarn or silk yarn or art silk yarn or in combination thereof, woven in plain or twill weave with check or stripe design and used commonly in Mizoram;

(l) "Dhara" means a cloth used for covering the lower/ or upper part of the body manufactured from cotton or silk or combination thereof, in plain or twill weave with check or stripe design, used commonly in Meghalaya and also commonly known as "Jainsem" or "Daksari" or "Dakmanda"

(m) "Loi" means a cloth woven from worsted or woollen or cashmelon or pashmina or any other fibre and/or blends thereof, which are used for covering the body; and also called as "Pankhi" or "Muffler" or "Shawl" in varying dimensions;

(n) "Dhakona" means varieties used for covering lower and/or upper part of the body manufactured from cotton or silk or combination thereof, in plain or twill weave with check and stripe designs and commonly used in Assam.

[F. No. 2/1/2008/DCH/CEO]

B. K. SINHA, Development Commissioner for Handlooms

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode